



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश
(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन)
नियम-पुस्तिका
संविदा आर.बी.एस.के चिकित्सा अधिकारी के चयन के लिये
(कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट द्वारा)
(2025-2026)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.), मध्यप्रदेश के अन्तर्गत संविदा आरबीएसके चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए एम.पी. ऑनलाईन के वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है। संविदा आयुष चिकित्सक (आरबीएसके) का अनुबंध 31 मार्च 2026 तक के लिए होगा, जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्ययोजनाओं में स्वीकृति अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. संविदा आरबीएसके चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद की भर्ती हेतु भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग (आयुर्वेदिक-45%-पद, होम्योपैथी. 45% -पद एवं यूनानी 10% -पद) की सम्मति अनुसार निम्नानुसार पदों का विभाजन कर आवेदन आमंत्रित करता है-

क	पद विवरण	वर्ग	कुल रिक्त पदों की संख्या
1	संविदा आरबीएसके चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेदिक)	पुरुष	74
		महिला	74
2	संविदा आरबीएसके चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी)	पुरुष	74
		महिला	74
3	संविदा आरबीएसके चिकित्सा अधिकारी (यूनानी)	पुरुष	16
		महिला	16
कुल			328

1. संविदा आरबीएसके चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेदिक) -148 पद का विवरण।

पदनाम	संविदा स्वीकृत रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित 27%	अनुसूचित जनजाति 20%	अनुसूचित जाति 16%	अन्य पिछड़ा वर्ग 27%	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10%	निःशक्तजनों के लिये 6%			
							(दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि) 1.5 %	(बहरे कम सुनने वाले) 1.5 %	(लोको मीटरडिसेबिलिटी सम्मिलित है जैसे सेरेब्रल पाल्सी कुष्ठ रोग मुक्त बौनापन एसिड अटेक पीडिल मस्कुलर डिस्ट्राफी) 1.5 %	(ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविलांगता) 1.5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संविदा आरबीएसके चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेदिक, (पुरुष)	74	21	14	12	20	7	-	-	4	-
संविदा आरबीएसके चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेदिक (महिला)	74	21	14	12	20	7	-	-	4	-

- निशक्त: के लिये संविदा आरबीएसके चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेदिक) पुरुष के रिक्तियों में से 4 पद एवं महिला के रिक्तियों में से 4 पद निःशक्त के लिये आरक्षित है, जिस श्रेणी का निशक्त: इन पदों के लिये चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन नियुक्तियों में सम्मिलित है।
- दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिजिक (Horizontal)के आधार पर 06 प्रतिशत का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

2 संविदा आरबीएसके चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) –148 रिक्त पद का विवरण

पदनाम	संविदा स्वीकृत रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित 27%	अनुसूचित जनजाति 20%	अनुसूचित जाति 16%	अन्य पिछड़ावर्ग 27%	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10%	निःशक्तजनों के लिये 6%			
							(दृष्टि बाधित एवं कम दृष्टि) 1.5 %	(बहरे कम सुनने वाले) 1.5 %	(लोको मीटरडिसेबिलिटी सम्मिलित है जैसे सेरेब्रल पाल्सी कुष्ठ रोग मुक्त बौनापन एसिड अटेक पीडित मस्क्युलर डिस्ट्राफी) 1.5 %	(ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविलांगता) 1.5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संविदा आरबीएसके चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथी, (पुरुष)	74	21	14	12	20	7	-	-	4	-
संविदा आरबीएसके चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथी, (महिला)	74	21	14	12	20	7	-	-	4	-

- निशक्त: के लिये संविदा आरबीएसके चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) पुरुष के रिक्तियों में से 4 पद एवं महिला के रिक्तियों में से 4 पद निःशक्त के लिये आरक्षित है, जिस श्रेणी का निशक्त: इन पदों के लिये चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन नियुक्तियों में सम्मिलित है।
- दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिजिक (Horizontal)के आधार पर 06 प्रतिशत का प्रस्ताव तैयार किया गया।

3 संविदा आरबीएसके चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) –32 रिक्त पदों का विवरण।

पदनाम	संविदा स्वीकृत रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित 27%	अनुसूचित जनजाति 20%	अनुसूचित जाति 16%	अन्य पिछड़ावर्ग 27%	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10%	निःशक्तजनों के लिये 6%			
							(दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि) 1.5 %	(बहरे कम सुनने वाले) 1.5 %	(लोको मीटरडिसेबिलिटी सम्मिलित है जैसे सेरेब्रल पाल्सी कुष्ठ रोग मुक्त बौनापन एसिड अटेक पीडित मस्क्युलर डिस्ट्राफी) 1.5 %	(ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविलांगता) 1.5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संविदा आरबीएसके चिकित्सा अधिकारी यूनानी (पुरुष)	16	5	3	3	4	1	-	-	1	-
संविदा आरबीएसके चिकित्सा अधिकारी यूनानी, (महिला)	16	5	3	3	4	1	-	-	1	-

- निशक्त: के लिये संविदा आरबीएसके चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) पुरुष के रिक्तियों में से 1 पद एवं महिला के रिक्तियों में से 1 पद निःशक्त के लिये आरक्षित है, जिस श्रेणी का निशक्त: इन पदों के लिये चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन नियुक्तियों में सम्मिलित है।
- दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिजिक (Horizontal)के आधार पर 06 प्रतिशत का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

सामान्य निर्देशों, लिखित परीक्षा और ऑनलाईन एडमिट कार्ड/हॉल टिकट की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया करे www.mponline.gov.in अथवा <http://ifforms.mponline.gov.in> पर जाए।

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ दिनांक	16-12-2025
आवेदन पत्र त्रुटिसुधार करने की प्रारम्भ दिनांक	23-12-2025
ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक	05-01-2026
आवेदन पत्र त्रुटिसुधार करने की अंतिम दिनांक	06-01-2026

2. शैक्षणिक और अन्य पात्रताएँ:-

संविदा आरबीएसके चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेदिक)

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियमित बी.ए.एम.एस. उपाधि जो एन.सी.आई.एस.एम. (National Commission for Indian System of Medicine) द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

तथा

- म.प्र आयुर्वेदिक एवं यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड से वैध पंजीयन।

संविदा आरबीएसके चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी)

- विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियमित बी.एच.एम.एस. उपाधि जो सी.सी.एच. (Central Council Of Homoeopathy) द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

तथा

- म.प्र. राज्य होम्योपैथी परिषद से वैध पंजीयन।

संविदा आरबीएसके चिकित्सा अधिकारी (यूनानी)

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियमित बी.यू.एम.एस. उपाधि जो एन.सी.आई.एस.एम. (National Commission for Indian System of Medicine) द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

तथा

- म.प्र आयुर्वेदिक एवं यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड से वैध पंजीयन।

वॉछनीय अनुभव :(तीनों विधाओं हेतु आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी)

- कंडिका 7.12 अनुसार –कोविड-19 अन्तर्गत संविदा आयुष चिकित्सक के पद पर न्यूनतम अवधि 89 दिवस कार्य किया गया है।

2.1 आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे:-

- हाईस्कूल सार्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची।
- 10+2 शिक्षा प्रणाली से 12 वीं परीक्षा की अंकसूची।
- कंडिका 2 अनुसार शैक्षणिक और अन्य पात्रताएँ अनुसार परीक्षा की अंकसूची एवं अनुभव प्रमाण पत्र एवं जीवित वैध पंजीयन आवश्यक।
- उपरोक्त दस्तावेजों में अगर पीछे के पन्नों में भी जानकारी अंकित हो तो उसे भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- मध्यप्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र (जिस पद पर आरक्षण लागू हो)

- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र एफ 07-11/2019/आप्र/1, दिनांक 29 जून 2021 जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण पत्र की संदर्भ में परिपत्र की कंडिका 8.6 का पालन सुनिश्चित किया जाना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण पत्र का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र। (आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से उस वित्तीय वर्ष के अंत तक (31 मार्च) वैध रहेगा।
- उपरोक्त समस्त दस्तावेज, आवेदक के पास आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना अनिवार्य है।
- आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के उपरान्त किसी भी दस्तावेज को स्वीकार्य नहीं किया जावेगा।

नोट:- आवेदक आवेदन/वॉछित अपलोड करते समये आवेदन पत्र में कॉलमवार वॉछित दस्तावेज अपलोड करते समय आवेदन पत्र में कॉलमवार वॉछित समस्त जानकारियों का स्वंग परीक्षण करने एवं संतुष्ट होने के उपरान्त ही फार्म को अपलोड करें, जिससे कि त्रुटि की संभावना नगण्य रहे।

2.2 योग्यता की गणना के लिये संदर्भ तिथि 01/01/2025.

- 3 *आयु सीमा:- 21-40 वर्ष (*आयु गणना की संदर्भ तिथि 01/01/2025)
अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन के परिपत्र क्रमांक सी 3-8/2016/1/3 दिनांक जुलाई 04 -2019 एवं समय-समय पर जारी संशोधन लागू समझे जायेंगे। (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निशक्त:जन/महिलाओं(अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट)

स्पष्टीकरण:- आयु की गणना के लिए 10 वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र/मार्कशीट या सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य दस्तावेज जो आयु प्रमाण पत्र के लिए जारी किया गया हो, एक वैध /संदर्भ दस्तावेज होगा और उम्मीदवार की आयु की गणना के लिए अन्य दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जायेगी, उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति(एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिला और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और अधिकतम आयु सीमा ऐसे उम्मीदवारों के लिये ही होगी, यदि वे मध्यप्रदेश के निवासी हैं।

4. वेतन:-

- 4.1 चयन के वक्त, उम्मीदवार को संविदा आरबीएसके चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया जाएगा और उन्हें प्रतिमाह 36,200/- रुपये दिया जायेगा।

5. आरक्षण नियम:-

- 5.1 मध्यप्रदेश राज्य आरक्षण नीति चयन और आयु छूट में लागू की जाएगी। इसलिए, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति(एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिला और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और आयु में छूट केवल मध्यप्रदेश के उम्मीदवारों के अधिवास पर लागू होगी।

- 5.2 केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन के लिये पात्र होंगे।

6. आवेदन प्रक्रिया:-

- 6.1 उम्मीदवारों को दिनांक 05/01/2026 तक या उससे पहले एम.पी. ऑनलाईन के वेबसाईट पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन पत्र (ओएएफ) को भरना और जमा करना होगा। किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किये गये आवेदन को वैध नहीं माना जाएगा।
- 6.2 उम्मीदवारों को आवेदन पत्र जमा करने से पहले निर्देशों और दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है।

- 6.3 आवेदकों को आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य जानकारी [* (आस्ट्रिक) से चिह्नित] प्रदान करना आवश्यक है।
- 6.4 आवेदन में अपूर्ण विवरण या हस्ताक्षर या सहायक दस्तावेजों के साथ तस्वीर के बिना प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।
- 6.5 आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विवरण सही तरीके से भरे गये हैं और समापन तिथि से पहले ऑनलाईन सफलतापूर्वक जमा किए गये हैं। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन पत्र पर आवेदक का स्टेट्स "सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है" आधे भरे हुये आवेदनों को अपूर्ण माना जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 6.6 एक बार ऑनलाईन फार्म जमा हो जाने के बाद किसी भी जानकारी में बदलाव या सुधार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, जॉच परिणाम के प्रकाशन के बाद, यदि जॉच परिणाम और उनकी स्थिति के बारे में कोई प्रश्न होगा तो उम्मीदवारों को उनके प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन (एनएचएम की मंजूरी के आधार पर) दिये जायेंगे। जॉच समिति उसी के लिए बनाए गए ऑनलाईन मॉड्यूल पर प्रश्न की प्राप्ति के चार कार्यकारी दिवसों के भीतर उम्मीदवारों के प्रश्न का जवाब देगी। जॉच समिति के निष्कर्ष के आधार पर, उम्मीदवार की जॉच टिप्पणी बदल सकती है।
- 6.7 सुधार/अवलोकन अवधि के बाद, जन्मतिथि, श्रेणी (जैसे एस.सी., एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी) आदि में सुधार के लिये अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा। इसके संबंध में कोई भी संचार मान्य नहीं होगा।
- 6.8 विकलांग व्यक्ति(पीडब्ल्यूडी) के मामले में, आवेदकों को निम्नलिखित श्रेणियों में पंजीकरण करना होगा:—
- (क) बहरे कम सुनने वाले।
- (ख) लोकोमीटरडिसेबिलिटी सम्मिलित है जैसे सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित मस्क्युलर डिस्ट्राफी।
- (ग) ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यंगता स्पेसफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविलांगता।
- (6.9) विकलांग (दिव्यांग) हेतु आरक्षित पद के लिए जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता (दिव्यांग) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. **चयन प्रक्रिया:—**
- 7.1 **संविदा आरबीएसके चिकित्सा अधिकारी** के चयन के लिए एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा एमसीक्यू (MCQs) आधारित ऑनलाईन लिखित परीक्षा(ओडब्ल्यूटी) का आयोजन किया जाएगा।
- 7.2 विभाग द्वारा अंतिम रूप प्रदान किये गए पाठ्यक्रम के आधार पर एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड के माध्यम से सीबीटी आधारित ऑनलाईन परीक्षा आयोजित की जायेगी।
- 7.3 परीक्षा केन्द्र / शहरी भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में उम्मीदवारों की वास्तविकता संख्या के आधार पर परीक्षा केन्द्रों/शहरों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
- 7.4 उम्मीदवार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के दौरान परीक्षा के लिये केन्द्र की पसंद प्रदान कर सकते हैं। केन्द्र का आवंटन निम्नलिखित पर आधारित होगा:—
- (क) केन्द्र की कुल संख्या की उपलब्धता और उम्मीदवारों द्वारा प्रदान की गई केन्द्र प्राथमिकताएँ।
- (ख) प्राथमिकताएँ और उपलब्धता समाप्त हो जाने के बाद एम.पी. ऑनलाईन द्वारा केन्द्र की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

- 7.5 ई-एडमिट कार्ड को एम.पी. ऑनलाईन की अधिकारिक वेबसाईट, एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड <http://www.mponline.gov.in> एवं <http://iforms.mponline.gov.in> पर परीक्षा तिथि के सात (7) दिन पहले डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा तिथि की घोषणा एम.पी.ऑनलाईन एवं एन.एच.एम. की आधिकारिक वेबसाईट पर होगी।
- 7.6 परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र में चार उत्तरों के विकल्पों के साथ 100 एमसीक्यू (MCQ) प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कोई नेगेटिव अंक नहीं होगा। चयन के लिए, ऑनलाईन लिखित परीक्षा में प्राप्त उम्मीदवार के अंको को मेरिट रैंक उत्पन्न करने पर विचार किया जाएगा, जिसके आधार पर उम्मीदवार का चयन किया जाएगा।
- 7.7 ऑनलाईन लिखित टेस्ट परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक इस प्रकार होंगे **40% For UR, 36% For EWS, 35% For OBC, and 30% For SC and ST** मेरिट रैंक का परिणाम और उम्मीदवार का चयन इस पर और राज्य आरक्षण नीति के आधार पर होगा।
- 7.8 उपरोक्त मापदण्डों के अनुसार यदि उम्मीदवारों की आवश्यक संख्या कुल पदों की संख्या से कम हो जाती है, तो इस स्थिति में **मिशन संचालक, एनएचएम म.प्र.** आवश्यक रूप में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक को कम करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। दो उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति में, अवरोही क्रम में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वरियता दी जायेगी:-
- आयु में बड़े उम्मीदवार को वरियता दी जाएगी।
 - एक ही जन्मतिथि/उम्र के अभ्यर्थी होने पर, **संविदा आरबीएसके चिकित्सा अधिकारी** के पद हेतु जो शैक्षणिक अर्हता रखी गई है उसमें शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता।
- 7.9 परीक्षा और चयन प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। किसी व्यक्ति द्वारा प्रक्रिया को अधिप्रभावी करके कोई भी लाभ देने की कोई संभावना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कोई भी लाभ प्राप्त करने के बारे में दावा करता है, तो यह व्यवहारिक नहीं है, और उम्मीदवारों को ऐसे झूठे दावों से सावधान रहना चाहिये।
- 7.10 उम्मीदवार को नियमों और चयन मापदण्डों का अवलोकन करना चाहिये और पद के लिये आवेदन करने से पहले पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के चरणों के दौरान और/या परिणाम की घोषणा के बाद अयोग्य पाया जाता है और उम्मीदवार द्वारा प्रदान किया गया विवरण गलत पाया जाता है तो, इस स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीदवारी प्रक्रिया में किसी भी बिन्दु पर अयोग्य घोषित की जाएगी।
- 7.11 **निर्हता/अभ्यर्थता रद्द करने का अधिकार:-**
- लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी का सहयोग प्राप्त किया जाना।
 - प्रतिरूपण किया जाना।
 - किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया जाना।
 - कूटरचित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना।
 - रूपान्तरित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना।
 - किसी आवश्यक जानकारी का छिपाया जाना।
 - अनुचित साधन का उपयोग किया जाना। (प्रयास किया जाना)
 - परीक्षा कक्ष में ड्यूटीरत स्टाफ को कोई धमकी दी जाना।
 - परीक्षा कक्ष में ड्यूटीरत स्टाफ द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लंघन किया जाना।
 - पुरुष अभ्यर्थी / महिला अभ्यर्थी जिसका एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हो।
 - कोई अभ्यर्थी जिसे 26 जनवरी 2001 के पश्चात् तीसरी जीवित संतान हुई हो।
 - अभ्यर्थी जिसको किसी अपराधिक प्रकरण में दण्डित किया गया हो।

7.12 कोविड-19 अन्तर्गत अस्थायी एवं आकस्मिक रूप से कार्य करने वाले संविदा आयुष चिकित्सक जिसने न्यूनतम अवधि 89 दिवस कार्य किया हो उसे संविदा आयुष चिकित्सक आरबीएसके की भर्ती प्रक्रिया में 10 प्रतिशत अधिभार अंक (Weightage) प्राप्त करने की पात्रता होगी। (एनएचएम के परिपत्र क्रमांक 8671 दिनांक 24/5/2021 एवं 9423 दिनांक 10/6/2021 के परिपालन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र. द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार किये जावेंगे)

8. **स्थान आवंटन:-**

8.1 मेरिट रैंक और उम्मीदवारों की वरीयताओं के आधार पर आवंटित किया जाएगा।

8.2 उम्मीदवार के उत्तीर्ण होने के उपरान्त पदों की पूर्ति हेतु च्वाइस फिलिंग की कार्यवाही पृथक से की जावेगी, पद के लिए उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन फार्म जमा नहीं कर सकता है। यदि उसकी उम्मीदवारी का पता नहीं लगाया है तो उसकी उम्मीदवारी को बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया जा सकता है।

8.3 ऑनलाईन फॉर्म भरते समय एक घोषणा के लिए उम्मीदवारों को सहमत होना होगा कि "मैं पूरी तरह से समझता/समझती हूँ कि उपरोक्त स्थान वरीयता का विवरण, केवल सूचना के उद्देश्य से मांगे जा रहे हैं। उम्मीदवार की मेरिट सूची रैंक के आधार पर एनएचएम म.प्र. के द्वारा नौकरी की पोस्टिंग का निर्णय लिया जाएगा। मैं उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से या स्थानों के अपने विवेक और उपलब्धता के अनुसार एनएचएम म.प्र. द्वारा निर्धारित पोस्टिंग के स्थान का पालन करने के लिए पूरी तरह सहमत हूँ।

9. **दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया:-**

(क) शार्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन आवंटित जिलों से संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएमएचओ) द्वारा किया जायेगा।

(ख) शार्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों को आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र (व्यक्तिगत, शिक्षा, पंजीकरण आदि) भरते समय पूछे गये थे।

(ग) शार्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जिसके पास विज्ञापन में अपेक्षित ToR के अनुसार आवश्यक क्रेडेंशियल/दस्तावेज/पंजीकरण नहीं है, उन्हें चयन के लिए रद्द माना जाएगा।

(घ) ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने के समय दी गई घोषणा के अनुसार तथ्यों की गलत व्याख्या के लिए भी उम्मीदवारों को अयोग्य माना जाएगा।

(ङ) जो उम्मीदवार निर्धारित समय अवधि के भीतर आवंटित स्थान पर रिपोर्ट नहीं करेंगे, उन्हें पद कार्यग्रहण करने के लिए अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, और पद मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्रदान किया जाएगा।

10. **अन्य निर्देश और दिशा निर्देश:-**

10.1 **चयनित उम्मीदवारों को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/परिचय पत्र, प्रस्ताव पत्र, मूल और जेरोक्त कॉपी को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है:-**

(क) 10वीं या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक और उम्मीदवारों के सभी उत्तीर्ण किये हुये पाठ्यक्रम की वार्षिक/सेमेस्टर वार मार्कशीट।

(ख) नवीनतम पासपोर्ट साईज की दो तस्वीरें।

(ग) मध्यप्रदेश के उपमंडल अधिकारी(राजस्व) द्वारा जारी जाति का प्रमाण पत्र।

(घ) स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र/अधिवास प्रमाण पत्र।

(ङ) नवीनतम चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र(जिला बोर्ड से) प्रस्ताव पत्र जारी करने की तारीख से 15 दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

- (च) **संविदा आरबीएसके चिकित्सा अधिकारी** के चयन के लिए, ऑनलाईन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिलिपि, एडमिट कार्ड की मूल और स्व-सत्यापित प्रतिलिपि
- (छ) उपरोक्त प्रमाण पत्र/दस्तावेजों में से किसी के अभाव में उम्मीदवारों को पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा और इसके लिए किसी भी प्रतिनिधित्व को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (ज) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निर्धारित छुट्टी के नियम अपरेंटिस/आंतरिक **संविदा आरबीएसके चिकित्सा अधिकारी** के लिये लागू होंगे।
- (झ) गर्भवती उम्मीदवार के लिए, जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र कार्यग्रहण के समय लागू होगा, और उपरोक्त प्रमाण पत्र जमा करने पर ही कार्यग्रहण सुनिश्चित किया जायेगा।
- (अ:) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2 जुलाई 2019 के अनुसार लोक सेवा केन्द्र से जारी आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- (ट) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 07-11/2019/आप्र/ 1, दिनांक 29 जून 2021 जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण की संदर्भ में परिपत्र की कंडिका 8.6 का पालन सुनिश्चित किया जाना है।
11. चयन प्रक्रिया के सफल समापन के बाद और **संविदा आरबीएसके चिकित्स अधिकारी** के रूप में नियुक्ति के बाद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नियमों का निर्धारण और व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकारी होगा।
- 11.1 संविदा सेवा की शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के संविदा मानव संसाधन मैनुअल-2025 के अनुरूप होंगी।
- 12 **चयन प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार:-**
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चयन के किसी भी नियमों और प्रक्रिया में संशोधन करने का अधिकार आरक्षित रखता है। ऐसा कोई भी संशोधन मान्य और बाध्यकारी होगा मिशन आवश्यकतानुसार पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश को बिना कारण बताये सम्पूर्ण प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा।
- परिभाषाएँ:-**
- 13.1 “ चयन परीक्षा” का अर्थ **संविदा आरबीएसके चिकित्सा अधिकारी** के लिए चयन प्रक्रिया का संदर्भ है।

संविदा आरबीएसके चिकित्सा अधिकारी
कार्यदायित्व

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत मोबाइल हेल्थ टीम के कार्यदायित्व - राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जिला एवं विकासखंड स्तर पर मोबाइल हेल्थ टीम का संचालन किया जा रहा है मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों की 4डी के तहत पहचान आंगनबाड़ी एवं शासकीय विद्यालय एवं शासन द्वारा अनुदान प्राप्त विद्यालयों में की जाती है। जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर मोबाइल हेल्थ टीम में पदस्थ मानव संसाधन तथा कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र (DEIC) में संविदा आधार पर कार्यरत मानव संसाधन से निम्नानुसार कार्य कराया जाना है :-

1. आयुष चिकित्सा अधिकारी (महिला एवं पुरुष) मोबाइल हेल्थ टीम हेतु भ्रमण माइक्रोप्लान :
 - प्रति दिवस कार्य स्क्रीनिंग - 60 प्रति चिकित्सक (मासिक 1320 बच्चे प्रति चिकित्सक कुल 22 कार्यदिवस)
 - प्रति दिवस हीमोग्लोबिन टेस्टिंग डिजिटल हेमोग्लोबिनोमीटर के माध्यम से - 50 बच्चे प्रति चिकित्सक (मासिक 1100 बच्चे प्रति चिकित्सक कुल 22 कार्यदिवस)
 - शहरी मोबाइल हेल्थ टीम हेतु रिपोर्टिंग अधिकारी – मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (शहरी क्षेत्र)
 - ग्रामीण मोबाइल हेल्थ टीम हेतु रिपोर्टिंग अधिकारी - खण्ड चिकित्सा अधिकारी
- मोबाइल हेल्थ टीम भ्रमण हेतु माइक्रोप्लान जिला स्तर पर प्रत्येक विकासखण्ड हेतु खण्ड चिकित्सा अधिकारी, महिला बाल विकास अधिकारी एवं शिक्षा विभाग के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता में समन्वय कर बनाने की जिम्मेदारी जिला टीकाकरण अधिकारी एवं जिला शीघ्र हस्तक्षेप प्रबंधक की होगी |
- माइक्रोप्लान तैयार करते समय यह ध्यान रखा जाना है कि वी.एच.एस.एन.डी. सत्र के दौरान आर.बी.एस.के मोबाइल हेल्थ टीम भी उसी क्षेत्र/ग्राम में भ्रमण करे | उक्त माइक्रोप्लान की जानकारी आर.बी.एस.के. पोर्टल पर प्रत्येक 3 माह हेतु इन्द्राज किया जाना है व उक्त जानकारी को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक आगामी 3 माह हेतु अद्यतन किया जाना है | यह कार्यवाही किये जाने की पूर्ण जवाबदेही मोबाइल हेल्थ टीम की है व उक्त कार्यवाही समयानुसार अद्यतन की जा रही है अथवा नहीं यह पूर्ण जवाबदेही जिले के जिला शीघ्र हस्तक्षेप प्रबंधक की है |
- बच्चों की आयु श्रेणी के आधार पर प्रत्येक टीम को निम्नानुसार भ्रमण कार्ययोजना तैयार की जाना है -

क्र.	उम्र	परीक्षण स्थल	वर्ष में परीक्षण
1.	6 सप्ताह से 6 वर्ष तक	आंगनबाड़ी	2 बार
2.	6 वर्ष से 18 वर्ष तक	<ul style="list-style-type: none"> • शासकीय विद्यालय एवं शासन द्वारा अनुदान प्राप्त विद्यालय • आवासीय विद्यालय , • आदिवासी आश्रम शालाये • किशोर न्याय अधिनियम 2015 अंतर्गत संचालित चाइल्ड केयर संस्थाये, • केंद्र शासित शालाये, • मदरसे , स्थानीय निकाय की शालायें 	1 बार

2. मोबाइल हेल्थ टीम के कार्यदायित्व निम्नानुसार है -

- माइक्रोप्लान के अनुसार दैनिक रूप से एक चिकित्सक द्वारा 60 बच्चों का परिक्षण कर, माह में कुल 1320 बच्चों का परिक्षण किया जाना है, एक मोबाइल टीम में दो चिकित्सक होने पर प्रतिमाह 2640 बच्चों का परिक्षण किया जावेगा | अतः एक ब्लाक में 2 टीम कार्यरत होने पर दोनों टीम द्वारा 5280 बच्चों का परिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा | परीक्षण उपरांत बच्चों की जानकारी पोर्टल में प्रति दिवस भरने की जवाबदेही मोबाइल हेल्थ टीम में पदस्थ चिकित्सको की होगी (एक माह 22 भ्रमण दिवस)
- मोबाइल हेल्थ टीम के आयुष चिकित्सकों द्वारा एन.आर.सी. में उपचार हेतु भेजे गये बच्चों की संख्या 10 प्रति माह प्रति दल (वार्षिक न्यूनतम 120 प्रति दल) भेजना सुनिश्चित करें |
- जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर एस.एन.सी.यू. से डिस्चार्ज बच्चों की लिस्ट आशा से प्राप्त कर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना (05 प्रति माह प्रति दल) |

- प्रत्येक बच्चे जिसका परिक्षण किया जा रहा है का स्क्रीनिंग कार्ड उम्र के अनुसार भरा जाना सुनिश्चित किया जाए इस हेतु विजिट के दौरान मोबाइल हेल्थ किट साथ में होना अनिवार्य है जिससे की बच्चों का परिक्षण किया जा सके।
- भ्रमण के पूर्व माइक्रोप्लान के तहत प्रत्येक आंगनबाड़ी एवं स्कूल में विजिट की जानी रहेगी एवं भ्रमण की जानकारी सम्बंधित भ्रमण स्थान संस्था को एक सप्ताह पूर्व प्रदाय की जाए जिससे संस्था में समस्त बच्चे परिक्षण हेतु उपस्थित रह सके। भ्रमण माइक्रोप्लान अनुसार न होने की स्थिति में बिना पूर्व सूचना के मान्य नहीं होगा।
- भ्रमण के दौरान समस्त बच्चों के परिक्षण के दौरान यदि कोई बच्चा बीमार पाए जाने पर भारत शासन द्वारा निर्धारित (आर.बी.एस.के. टीम) प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार एवं दवाइयां प्रदाय की जाए।
- विजिट के दौरान आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ता को बच्चों में होने वाली बिमारियों के लक्षण के संबंध में प्रशिक्षित किया जाए एवं बीमार होने पर किस संस्था में रेफर किये जाने के संबंध में कि जानकारी प्रदाय की जाए साथ ही MCP कार्ड में शारीरिक एवं विकासात्मक लक्षण की पहचान हेतु प्रशिक्षित किया जाए।
- स्कूल में बच्चों को साफ़ सफाई, हैंड वाशिंग, संक्रमण से रोकथाम, पर्सनल हाईजीन, बिमारियों से बचाव तथा पौष्टिक आहार के संबंधमें जानकारी प्रदाय की जाए।
- मोबाइल हेल्थ टीम के महिला आयुष चिकित्सक या ए.एन.एम. होने पर गर्भवती महिलाओं की जांच 40 प्रति माह प्रति दल (वार्षिक न्यूनतम 480 प्रति दल) के रिकार्ड का संधारण करना।
- विजिट के दौरान यदि उक्त गाँव में SNCU से डिस्चार्ज बच्चा उपस्थित है तो आशा के साथ उक्त बच्चे की समुदाय आधारित फोलोअप विजिट की जाए इस हेतु जिला स्तर पर संचालित SNCU के डाटा एंट्री ओपरेटर से नियमित रूप से समन्वय किया जाए।
- डिलीवरी पॉइंट पर न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग के पश्चात् चिन्हांकित किये गये वार्निंग साइन वाले बच्चो का फॉलोअप किया जाना।
- माह में 22 दिन स्क्रीनिंग किया जाना है एवं 15 दिवस में एक बार (02 एवं 04 शनिवार को) चिकित्सालय में उपस्थित होकर बच्चों का फॉलोअप एवं रिपोर्टिंग का कार्य किया जाना है।
- मोबाइल हेल्थ टीम माइक्रोप्लान के अनुसार जिस ग्राम में स्क्रीनिंग कर रही है उसके समीपस्थ अतिरिक्त न्यूनतम 03 ग्राम में जाकर आयरन फोलिक एसिड की उपलब्धता, आवश्यकता एवं उसके उपयोग की जानकारी प्राप्त करेंगी।
- **टूल किट:-** टूल किट में उपकरण की उपलब्धता एवं उनके रख-रखाव, रेफरल कार्ड, एवं कार्य साधन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- **डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर :-** एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत समस्त मोबाइल हेल्थ टीमो को आवंटित किये गए डिजिटल हीमोग्लोबिन मीटर द्वारा 100 टेस्ट प्रति दिन प्रति दल (कुल 22 कार्यदिवस) किया जाना सुनिश्चित करना।
- **दवा किट:-** भारत शासन द्वारा बच्चों के उपचार हेतु निर्धारित की गयी आवश्यक दवाईयाँ की उपलब्धता एवं उनका सही रख-रखाव सुनिश्चित करना।
- **दस्तावेजीकरण:-** मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा किये जा रहे कार्यों का निर्धारित प्रपत्र में रिकार्ड संधारण एवं समय पर रिपोर्ट जिला समन्वयक को प्रेषित करना।
- **जॉब एड्स:-** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम बाल स्वास्थ्य जांच और शीघ्र पहल सेवाएँ आदि जॉब एड्स को अपने साथ भ्रमण के दौरान ले जाना सुनिश्चित करना।
- **कौशल:-** स्वास्थ्य कार्यक्रमों की संपूर्ण जानकारी के साथ-साथ 4-डी (जन्मजात विकृति, रोग, कमी, विकलांगता एवं विकास में देरी) के प्रभावी तरीकों से उपचार का ज्ञान होना।
इसके अतिरिक्त राज्य स्तर से जारी दिशा निर्देशानुसार अन्य आवश्यक कार्य।

परिशिष्ट-2

संविदा आरबीएसके चिकित्सा अधिकारी
रिक्त पद

S. NO	DISTRICIT	RBSK MO (Male)	RBSK MO (Female)
1	AGAR MALWA	7	6
2	ALIRAJPUR	6	6
3	ANUPPUR	4	4
4	ASHOK NAGAR	5	5
5	BALAGHAT	1	1
6	BARWANI	3	3
7	BETUL	4	3
8	BHIND	5	5
9	CHHATARPUR	2	2
10	CHHINDWARA	5	4
11	DAMOH	4	4
12	DATIA	4	4
13	DEWAS	0	1
14	DHAR	4	3
15	DINDORI	8	8
16	GWALIOR	0	2
17	HARDA	3	3
18	HOSHANGABAD	1	1
19	JABALPUR	2	1
20	JHABUA	4	4
21	KATNI	4	4
22	KHANDWA	1	1
23	KHARGONE	4	4
24	MANDLA	8	8
25	MANDSAUR	4	4
26	MORENA	2	4
27	NARSINGHPUR	3	3

S. NO	DISTRICIT	RBSK MO (Male)	RBSK MO (Female)
28	NEEMUCH	3	3
29	PANNA	4	4
30	RAISEN	1	1
31	RAJGARH	3	3
32	RATLAM	7	7
33	REWA	6	6
34	SAGAR	7	7
35	SATNA	5	5
36	SEONI	1	1
37	SHAHDOL	1	1
38	SHEOPUR	5	5
39	SHIVPURI	7	7
40	SIDHI	7	7
41	SINGRAULI	3	4
42	UJJAIN	2	2
43	UMARIA	4	3